

(b) Possessing the following qualifications:-

- (i) Pass in the Subordinate Account or Audit Service examination or equivalent examination conducted by any organised Accounts Department of the Central Government; or
- (ii) Successful completion of training in the cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of five year experience in cash, accounts and budget work.

Note 1 : Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/01/2014-Admn. IA]

SANJEEV GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (कनिष्ठ) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (पुस्तकालय लिपिक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय लिपिक	2 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर -2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती : टिप्पण : पदधारी की नियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं परिस्थितियों में से वर्ष या उससे अधिक के लिए बाहर के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी :- क (i) नियुक्ति आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों, या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज - अध्यक्ष 2. प्रभारी उप निदेशक, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/35/2016 -एम एच-II]

जी. ए. रघुवंशी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARENew Delhi, the 12th December, 2017

G.S.R . 2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Janitor) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Library Clerk) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Clerk	2* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18-25 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti	Matriculation from recognised Board. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the

District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	<p>Direct recruitment</p> <p>Note : Vacancy caused by the incumbents being away on deputation or long illness or Study leave or under circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government or Union territories:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with three years regular service in the posts in of level 1 in the Pay Matrix; and</p> <p>(b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Departmental Confirmation Committee consisting of: -</p> <p>1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman</p> <p>2. Deputy Director in charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services -Member</p> <p>3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member</p>	Not applicable.

[F. No. A-11018/35/2016-MH-II]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 जहां तक लेखाकार (कनिष्ठ) उच्च श्रेणी लिपिक व भंडारी, स्वागतकर्ता और सफदरजंग अस्पताल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1977 जहां तक अभिरक्षक और अभिरक्षक और भंडारी सह अवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक